

EWS जाति प्रमाण पत्र (केन्द्र के लिए) बनाने के लिये दस्तावेज

राज्य का EWS होना ज़रूरी है \*

जनाधार कार्ड\*

राशन कार्ड\*

मूलनिवास प्रमाण पत्र\*

आधार कार्ड स्वयं और माता -पिता \*

मार्कशीट (हो तो)

जमाबंदी ज़मीन की नक़ल (हो तो) \*

जाति से सम्बन्धित एक दस्तावेज \*

स्वयं या माता- पिता पहचान पत्र

स्वम ओर पिता की फोटो 1 - 1

EWS का फॉर्म पूरा भरा हुआ हो